महत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवामें,

कुल सचिव,
....
....

पत्रांक:– 11188 / दि0ज0स0वि0 / रा0छा0यो0 / 2025–26: लखनऊ : दिनांक– 01-07- 2025

विषयः– **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र–2025–26 के लिए प्री–मैट्रिक / पोस्ट–मैट्रिक / टॉप–क्लास की भारत सरकार द्वारा निर्गत समय सारणी के संबंध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र / छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े दिव्यांग छात्र / छात्राओं का शैक्षणिक सशक्तीकरण है।इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के माध्यम से दिव्यांगछात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :–

- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 09 और 10 के लिए),
- पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के लिए),
- उच्च श्रेणी शिक्षा (टॉप क्लास) छात्रवृत्ति (शिक्षा के उत्कृष्टता में अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा),
- राष्ट्रीय ओवसरसीज छात्रवृत्ति (विदेश स्थित विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री पी0एच0डी0),
- राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालय में एमफिल और पी0एच0डी0),
- दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (ग्रुप क और ख पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यकमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं)

सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा दिव्यांग छात्र / छात्राओं हेतु **प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक एवं टॉप–क्लास छात्रवृत्ति** योजना संचालित की जाती है, जिसके कम में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना **शैक्षणिक सत्र–2025–26** हेतु समय–सारणी निर्गत की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

समय सारणी	प्री–मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक	टॉप क्लास
आवेदन की अंतिम तिथि	25.06.2025	25.06.2025	25.06.2025
डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरीफिकेशन अंतिम तिथि	15.09.2025	15.11.2025	15.11.2025
इन्स्टीट्यूट वेरीफिकेशन अंतिम तिथि	15.09.2025	15.11.2025	15.11.2025

उपरोक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली की छात्रवृत्ति हेतु वेबसाइट www.scholarships.gov.in में उपलब्ध व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत आप अपने विश्वविद्यालय / संस्थान में अध्ययनरत् पात्र दिव्यांग छात्र / छात्राओं को योजनान्तर्गत , लाभान्वित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुपमा मौर्य)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक–उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
2. वैयक्तिक सहायक, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।

(अनुपमा मौर्य)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।